घरेलू हिंसा कानून 2005

AMPLIFYCHANGE

क्या कहता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005?

26 अक्टूबर 2006 को हमारे देश में ऐसा पहला दीवानी कानून लागू हुआ है, जो महिलाओं को घर में बिना हिंसा रहने का अधिकार देता है, इस कानून का नाम है "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005". यह पहला ऐसा कानून है जो घरेलु हिंसा की एक व्यापक परिभाषा देता है-

घरेलू हिंसा क्या है-

इस कानून के अनुसार किसी महिला के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अंग, मानसिक या शारीरिक स्थिति को उसके परिवार, नातेदार या रिश्तेदार द्वारा किसी प्रकार की हानि पहुचाना, घरेलू हिंसा है, इसमें दहेज, संपत्ति या मूल्यवान वस्तुयें/कागजात की गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए महिला या उससे सम्बंधित किसी व्यक्ति को नुक्सान पहुचाने की भावना से या धमकाकर उस महिला को परेशान करना, उत्पीडन करना उसको अपहानि या क्षति पहुचाना या फिर उसके लिए मुश्किल परिस्थिति पैदा करना भी शामिल है।

पीड़ित कौन-

माँ, बहन, बेटी, बहु, भाभी, पत्नी दूसरी पत्नी या कोई विवाह सामान रिश्ते में रहने वाली महिला या कोई अन्य महिला एवं बच्चे *(18* वर्ष से कम उम्र के लड़के व लडकियॉ*)* जो आरोपी के साथ घरेलू नातेदारी में रह रही हो या रह रह चुकी हो।

इस कानून के तहत निम्नलिखित राहत/सहायता मिल सकती है -

1-संरक्षण आदेश- *2*-निवास आदेश *3*-अभिरक्षा आदेश *4*-मुवाबजे का आदेश *5*-आर्थिक सहायता का आदेश-

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला किस्से मदद ले सकती है

- निकटतम संरक्षण आधिकारी
- मजिस्ट्रेट
- पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्थान
- महिला अधिकारों पर काम करने वाली संस्था
- पुलिस

अधिनियम से जुडे लोगों की भूमिका-

सुरक्षा अधिकारी-*(पी.ओ.- प्रोटेक्सन आफिसर)* हर जिले में सरकार द्वारा नियुक्त होता है। सुरक्षा अधिकारी घरेलू घटना रिपोर्ट यानी डोमेस्टिक इन्सीडेन्ट रिपोर्ट *(*डी.आई.आर*)* दर्ज कराता है उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है और देखता है कि कोर्ट द्वारा पारित आदेश का पालन हो।

सेवा प्रदाता-राज्य सरकार के साथ पजीकृत स्वयं सेवी संस्था होती है वह सुरक्षा अधिकारी के पास डी.आई.आर दर्ज कराने में सहायता करती है, महिला को कानूनी सहायता, चिकित्सा देखभाल, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करती है।

पुलिस- आई.पी.सी. की धारा *498*ए तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करती है, निवेदन करने पर पुलिस उसी समय पी.डब्लू.डी.वी.ए के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट या डी.आई.आर दर्ज करके उसे मजिस्ट्रेट के पास भेज देती है।

मजिस्ट्रेट-पी.डब्लू.डी.वी.ए के तहत डी.आई.आर दर्ज करने के लिए पीडित महिला सीधे मजिस्टेट कार्यालय भेजे जा सकते है या जा सकती है। आदेश का उल्लंघन और दडातम्क कार्यवाह-उल्ल्ंघन या कोर्ट के आदेश का पालन न करना पी.डब्लू.डी.वी.ए के तहत दण्डनीय अपराध है ऐसे मामलों में महिला, मजिस्ट्रेट या पुलिस या सुरक्षा अधिकारी से शिकायत कर सकती है ऐसी शिकायत के बाद दुर्व्यवहारकर्ता को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके विरूद दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

महिलाओं व लडकियों के साथ हिंसा से सुरक्षा, रोकथाम व सम्मान हेतु उ0प्र0 में प्रभावी हेल्पलाईन न0-(112) (181) (1090) (1076)

अभियान सचिवालय-ए-240 इन्दिरानगर
लखनऊ, उ0प्र0 2260166
Email-contact@sahayogindia.org